

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक : का.आ./2022/ 51

दिनांक : 27-6-22

कार्यालय-आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) एवं 410(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती अनामिका सारण, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है कि-

माह जुलाई, 2022 में निम्नलिखित सूचियों के कॉलम नंबर-1 में अंकित राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर जिला न्यायक्षेत्र के वे मुख्यालय जिनका नाम सूचियों के ऊपर अंकित किया हुआ है, के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई, जिनमें जमानत, रिमाण्ड, ड्यूटी, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे, के सामने अंकित कॉलम नंबर-2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी व उक्त अधिकारी के अवकाश पर/मुख्यालय से बाहर होने की दशा में, यदि कोई अन्यथा आदेश इस कार्यालय द्वारा पारित नहीं किया गया हो तो कॉलम नंबर-3 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उक्त अवकाश के दिन ऐसे प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

सम्पूर्ण जयपुर जिला न्यायक्षेत्र हेतु

दिनांक	नाम न्यायालय	नाम लिंक न्यायालय
03-07-2022 रविवार	ए.सी.जे.एम, कम-1, जयपुर जिला, जयपुर	ए.सी.जे.एम, कम-2, जयपुर जिला, जयपुर
09-07-2022 द्वितीय शनिवार	जे.एम., जयपुर जिला, जयपुर	जे.एम.,कम-2, जयपुर जिला, जयपुर
10-07-2022 रविवार/ईदुलअजहा	जे.एम., जयपुर जिला, जयपुर	जे.एम.,कम-3, जयपुर जिला, जयपुर
17-07-2022 रविवार	जे.एम., कम-1,जयपुर जिला, जयपुर	जे.एम. जयपुर जिला, जयपुर
23-07-2022 चतुर्थ शनिवार	ए.सी.जे.एम, कम-2, जयपुर जिला, जयपुर	ए.सी.जे.एम, कम-1, जयपुर जिला, जयपुर
24-07-2022 रविवार	जे.एम.कम-3, जयपुर जिला, जयपुर	जे.एम.,कम-2, जयपुर जिला, जयपुर
31-07-2022 रविवार	जे.एम.कम-2, जयपुर जिला, जयपुर	जे.एम., कम-1, जयपुर जिला, जयपुर

नोट :-

1. **माह जुलाई, 2022** के अन्य अवकाशों के दिन में आवश्यक मामलों में उचित आदेश संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक अधिकारी अथवा निकट के किसी न्यायिक अधिकारी के आवास से प्राप्त किए जा सकेंगे।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारीगण के पास वीडियो कान्फ्रेंसिंग से भी रिमाण्ड दिये जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के विवेकाधीन होगा और यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा इस संबंध में पारित आगामी आदेशों के अधीन रहेगा।
3. जयपुर मुख्यालय पर अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 10.30 से 1.00 बजे तक रहेगा।
4. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई अवकाश घोषित हो जाने पर सम्पूर्ण जयपुर जिला न्यायक्षेत्र हेतु घोषित अवकाश के दिन **जे.एम., कम-1, जयपुर जिला, जयपुर** उक्त कार्य देखेंगे। इसके लिये कोई पृथक आदेश नहीं पारित किया जावेगा, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें।
5. पीठासीन अधिकारी के नियत रिमाण्ड दिवस पर मुख्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश पर रहने की अवस्था में वे अपने लिंक अधिकारी को सूचित करते हुए उनके स्थान पर लिंक अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति प्राप्त कर उसका प्रार्थना पत्र में अंकन करते हुए सूचना इस कार्यालय को भी भिजवाएंगे। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर के आदेश क्रमांक 5062/स्था. दिनांक 04 मई, 2019 की पालना में ही ड्यूटी परिवर्तित की जा